



समक्ष माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर मध्यप्रदेश, कैम्प भोपाल

निगरानी क्र. /2014-15

निग/3110/1/15

अबरार अली आत्मज श्री सरदार अली
निवासी- भगवंतपुर, तहसील सिरोंज,
जिला विदिशा (म.प्र.)
हाल निवासी- मोहल्ला हाजीपुर,
तहसील सिरोंज, जिला विदिशा (म.प्र.)

आवेदक

विरुद्ध २५०-

- मध्यप्रदेश शासन
कपूरी बाई पत्नी श्री घनश्याम अहिरवार
निवासी- ग्राम मोहनखेड़ी, तहसील सिरोंज,
जिला विदिशा (म.प्र.)
3. शंकरिया पुत्र हल्का, जाति हरिजन
 4. मुंशीलाल पुत्र मंगल सिंह, जाति धाकड़
 5. बाबूलाल पुत्र श्री अरजन सिंह, जाति धाकड़
 6. बीना बाई पत्नी स्व. श्री तोफान सिंह धाकड़,
सभी निवासी- ग्राम मोहनखेड़ी, तहसील सिरोंज,
जिला विदिशा (म.प्र.)
 7. पार्वतीबाई पुत्री स्व. श्री तोफान सिंह
पत्नी श्री नवलसिंह धाकड़
निवासी- गुदनखेड़ी, तहसील लटेरी,
जिला विदिशा (म.प्र.)
 8. रामकली बाई पुत्री श्री तोफान सिंह
पत्नी श्री रामबाबू धाकड़,
निवासी- करईखेड़ा, तहसील सिरोंज,
जिला विदिशा (म.प्र.)
 9. बृजबाला पुत्री श्री तोफान सिंह,
पत्नी श्री रामकृष्ण धाकड़,
निवासी- करईखेड़ा, तहसील सिरोंज,
जिला विदिशा (म.प्र.)

श्री राजेश गिरी अधीक
द्वारा आज रं 24/8/15
को प्रस्तुत।

22/8/15

अधीक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959

आवेदक न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय, विदिशा (म.प्र.) द्वारा अपील प्रकरण क्र. 23/स्वमेव निगरानी/2012-2013 में पारित आदेश दिनांक 07.07.2015 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्न तथ्यों एव आधारों पर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है।




2.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3110-एक/15

जिला- विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5.12.18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश गिरी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26.2.19 को आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p> <p style="text-align: center;">   </p>	